संख्या-735/चौवालिस-2-71/86-89

प्रेषक,

श्री आर0 रमणी,
सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/
निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 3 सितम्बर, 1989

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

शासनादेश संख्या 135।/चौवालिस-2/ 986, दिनांक 3-10-86 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि यदि सार्वजनिक उपक्रम/निगम के किसी कर्मचारी की उसी निगम के किसी उच्चतर पद पर सीधी भर्ती से किये गये चयन के परिणामस्वरूप नियुक्ति हो जाती है तो उसे सीधी भर्ती का कर्मचारी माना जायेगा और इस कारण उसे मौलिक पद से त्यागपत्र देना होगा। फलस्वरूप मौलिक पद पर उसका धारणाधिकार (Lien) समाप्त हो जायेगा और मौलिक पद पर की गई सेवाओं का कोई लाभ देय न होगा।

2- कतिपय सार्वजनिक उद्यमों द्वारा शासन की जानकारी में यह बात लायी गई है कि उक्त व्यवस्था के विरुद्ध कतिपय प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं। फलस्वरूप इन उद्यमों द्वारा उक्त शासनादेश में लगाये गये प्रतिबन्धों पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया। अतः शासन द्वारा इस विषय पर पुनर्विचारोपरान्त उक्त शासनादेश सं0-1351/चौवालिस-2/1986, दिनांक 3-10-1986 का अतिक्रमण करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

(1) यदि किसी उद्यम/निगम के किसी कर्मचारी की उसी निगम में सीधी भर्ती से किये गये चयन के आधार पर नियुक्ति की जाय तो उसे सीधी भर्ती का कर्मचारी माना जायेगा परन्तु उसे मौलिक पद की सेवाओं का लाभ निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये दे दिया जाय :-

(क) सेवानैवृत्तिक लाभ यथा ग्रेच्युटी आदि के लिए।

(ख) मौलिक पद पर अर्जित किये गये अवशेष अवकाश को अधिकतम 240 दिन की सीमा के अधीन रहते हुए, अग्रेनीत करने के लिए।

(ग) वेतन संरक्षण के लिए।

(2) जहां तक मौलिक पद पर धारणाधिकार (लियन) बनाये रखने का प्रश्न है, इस विषय को संचालक मण्डल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। उद्यमों के संचालक मण्डल यदि उचित समझे तो मौलिक पद पर उस अवधि तक धारणाधिकार रखा जा सकता है जब तक कि कर्मचारी उच्च पद पर नियमित न हो जाय परन्तु ऐसा निर्णय लिये जाने के लिए निगमों द्वारा प्रत्येक मामले में अलग-अलग पिक एण्ड चूज (Pick & Choose) की नीति नहीं अपनायी जायेगी, अपितु प्रत्येक निगम अपने कर्मचारियों के मामले में संचालक मण्डल में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए संचालक मण्डल की स्वीकृति से एक सामान्य नीति निर्धारित कर लें।

3- कृपया तद्नुसार निगमों द्वारा अपने सेवानियमों में भी व्यवस्था करने की कार्यवाही कर ली जाय ।

भवदीय,
आर0 रमणी,
सचिव।

संख्या 735(1)/चौवालिस-2-71/86-89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—
(1) सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित सचिवालय के प्रशासनिक अनुभाग ।
(2) सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित शासन के सचिव/विशेष सचिव ।
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से,
आर0 एन0 सिन्हा,
अनु सचिव।